न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—204/2012 राजस्व वाद

1—मु0 ललीता पुत्री सूरजमल ढोली, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील भीलवाड़ा
2—मु0 चन्द्रा पुत्री सूरजमल ढोली, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील भीलवाड़ा
3—मु0 अमरी पुत्री सूरजमल ढोली, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———वादीगण

बनाम

1—श्री सत्यनारायण पिता सूरजमल ढोली, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील भीलवाड़ा (राजस्थान)
2—श्रीमति केसर बेवा सूरजमल ढोली, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3—मु0 गंगा पुत्री सूरजमल ढोली, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)
———प्रतिवादीगण

———

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89—92(क) 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः—

1—श्री अमित सोंलकी — एडवोकेट—वादीगण

:: नि र्ण य दिनांकः—2.1.2018

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89—92(क)188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रति सं0 1 से 3 मृतक सूरजमल के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख या 3 सूरजमल जी की पुत्रियॉ व प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र एवं प्रतिवादी सं0 2 पत्नि हैं। सुविधा की दृष्टि से सूरजमल जी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः—

सूरजमल
I
केसर(पत्नि प्रति.2)
I

अमरी	ललिता	चन्दा	गंगा	सत्यनारायण
वादिया सं.3	वादिया सं. 1	वादिया सं. 2	प्रति.3	प्रति.1

र्णित सजरे के अनुसार श्री सूरजमल के प्रथम श्रेणी के वारिसान हम वादीगण व तिवादी संख्या 1 से 3 हो सूरजमल जी की सम्पदाओं पर निस्बानिस्ब हिस्से से काबिज हो उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे हैं। ग्राम आटूण पटवार हल्का

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

बिस्वा भूमि का ही हकदार हैं। इस कारण शेष बची कृषि आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा तय करने के कारण प्रकरण रिमाण्ड किया गया। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावें में सजरे को स्वीकार किया तथा सूरजमल की पुत्रियॉ होना भी स्वीकार किया । ऐसी स्थिति में विवादित आराजियात में वादीगण प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 व प्रतिवादी सं. 3 का भी 1/12 हिस्सा होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ–साथ सह खातेदार काश्तकार है किन्तु राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज चाहते हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व मोखिक साक्ष्य से होती हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आटूण पटवार हल्का आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 775 रकबा 13 बिस्वा, 776 रकबा 8 बिस्वा, 777/2 रकबा 10 बिस्वा, 781 रकबा 3 बिस्वा, 782 रकबा 12 बिस्वा, 791 रकबा 9 बिस्वा, 792 रकबा 18 बिस्वा, 794 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 795 रकबा 15 बिस्वा, 796 रकबा 9 बिस्वा, 799 रकबा 10 बिस्वा, 800 रकबा 10 बिस्वा, 2208 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 2210 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 2212/2 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 15 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा भूमि में वादीगण संख्या 1, 2, 3 व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 यानि प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्से (यानि साढे सत्तरह बिस्वा भूमि) का खातेदार कश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ–साथ घोषित किया जाता हैं। उसी हिस्से अनुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 1/2 हिस्सा तथा 1/12 के अनुपात में जो भूमि यानि 5 बीघा 7 बिस्वा दर्ज करते हुये शेष भूमि में यानि 5 बीघा 6 बिस्वा भॉमि मे. प्रतिवादीगण संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 यानि प्रत्येक का उनके हक व हिस्से तक शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें, किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

(चिन्मयी गोपाल)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 4.1.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner